

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (झरु)

ब डूजलास हिममतसिंह R.A.S.

वाद संख्या- 81/2013

निर्णय दिनांक - 26.6.2019

दयाराम पुत्र श्री खूबैराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा वटसील राजगढ़ जिला झरु

बनाम

-वादी

1. सुखराम	} पुत्र-पुत्री हनुमानदास जाति स्वामी निवासी टमीरवास बडा वटसील राजगढ़ जिला झरु
2. सुमेर	
3. कमला	

4. दया.सी पुत्र बनवारी

5. शांति पत्नी मोतीलाल

6. दीपचंद

7. विमला

8. अतेरी

} पुत्र-पुत्री मोतीलाल

9. कु. कुलपादेवी पत्नी सिद्धमण

10. सत्यवीर पुत्र सिद्धमण

11. मालाम

12. फूलाम

} पुत्रगण हनुमानदास

समस्त जाति स्वामी निवासी गण टमीरवास बडा वटसील राजगढ़ जिला झरु

13. राजस्थान राज्य जतिह वटसीलदार साहब राजगढ़ जिला झरु

-उतिवादीगण



वाद अन्तर्गत धारा 53 R.T.A. Act.

निर्णय

इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 26.3.18 की पालन

Handwritten signature and official stamp at the bottom left.

२.

में लहसील्लार राजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव जापू हुआ। श्वलोकन विभा।
विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिप्टी के अग्ररूप ही तैयार कर पेश
किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।
अतः मुलायम विभाजन प्रस्ताव वाउ वादी स्वीकार कर वाउगढ़ थुकि
का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जा रहा है।

(1) दयाराम पुत्र बूबोराम जाति जाट निवासी सरदारपुरा खोटेदार
के हक हिस्सा में ख० न० ॥३ मी० रकबा ०.१८ ह० ख० न० ॥५ मी०
रकबा ०.१२ ह० वा. डि. लगान ३.३० वक्रे रोड़ी ग्राम सरदारपुरा
लहसील्ल राजगढ़ जिला पूरु नबशा विभाजन प्रस्ताव में बरंग लाल
से दर्शाए अनुसार रहेगी। बाकी खाता बदसूर जमाबन्दी रहेगा।

• देय मुद्दांक शुल्क अदा करने पर पचा डिप्टी जारी हो।
खर्च पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक २६-६-१९ को मेरे द्वारा लिखा जा
कर सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (पूरु)